

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *275
13.08.2026 को उत्तर के लिए

एनजीटी की पूर्वी आंचलिक पीठ का कार्यकरण

*275 श्री सामिक भट्टाचार्य :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पूर्वी आंचलिक पीठ, कोलकाता की नियमित बैठकें न होने तथा इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय मामलों के अधिनिर्णय में हो रहे विलंब संबंधी चिंताओं के बारे में जानकारी है;
- (ख) उक्त पीठ के लिए न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों के संस्वीकृत, भरे हुए तथा रिक्त पदों की संख्या कितनी है;
- (ग) उक्त पीठ के समक्ष कितने मामले लंबित हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान मामलों के निपटान में औसतन कितना समय लगा है; और
- (घ) क्या सरकार कोलकाता में समर्पित न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों के साथ नियमित बैठकें सुनिश्चित करने का विचार रखती है और यदि हाँ, तो इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

- (क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘एनजीटी की पूर्वी आंचलिक पीठ का कार्यकरण’ के संबंध में दिनांक 13.08.2026, गुरुवार को उत्तर के लिए श्री सामिक भट्टाचार्य द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 275 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की न्यूनतम स्वीकृत संख्या इक्कीस (21) है, जिसमें एक अध्यक्ष, दस (10) न्यायिक सदस्य और दस (10) विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का क्षेत्राधिकार पूरे भारत में है, जो पाँच पीठों अर्थात् प्रधान पीठ, नई दिल्ली; पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता; पश्चिमी क्षेत्र पीठ, पुणे; केंद्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल; और दक्षिणी क्षेत्र पीठ, चेन्नई के माध्यम से कार्य करता है। स्वीकृत संख्या के सापेक्ष वर्तमान में चार (04) न्यायिक सदस्य और छह (06) विशेषज्ञ सदस्य कार्यरत हैं।

उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। एनजीटी ने सूचित किया है कि नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी क्षेत्र पीठ के मामलों की नियमित रूप से सुनवाई प्रधान पीठ के न्यायिक सदस्य द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा कोलकाता पीठ के विशेषज्ञ सदस्य द्वारा की जाती है। प्रतिदिन लगभग 13 से 15 मामलों की सुनवाई की जाती है जिसमें अत्यावश्यक मामलों को प्राथमिकता दी जाती है। यह भी सूचित किया गया है कि कोलकाता पीठ के न्यायिक सदस्य और मौजूदा विशेषज्ञ सदस्य के साथ-साथ दिनांक 03.08.2026 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनजीटी, पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता को प्रधान पीठ से एक अतिरिक्त विशेषज्ञ सदस्य उपलब्ध कराया गया है।

एनजीटी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता के समक्ष 605 मामले लंबित हैं। पिछले तीन वर्षों, अर्थात् जून 2023 से मई 2026 तक मामलों के निपटान में औसत समय 4 महीने और 4 दिन बताया है, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 18(3) के तहत अधिकरण द्वारा मामलों के निपटान के लिए निर्धारित छः महीने की अवधि के भीतर है।
